डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0/1090/2022
दिनांक 07/05/2022

सेवा में,

प्राचार्य / सचिव,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय,

अवगत हो कि आपके महाविद्यालय में संचालित स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) आदि में पठन–पाठन कार्य हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, प्रायः देखने में यह आ रहा है कि महाविद्यालयों द्वारा समय–समय पर विश्वविद्यालय से शिक्षक अनुमोदन हेतु विषय–विशेषज्ञ प्राप्त कर लिये गये मगर प्राप्त विषय–विशेषज्ञों से शिक्षक अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण नही करायी गयी है, जो कि अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया था कि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षक चयन कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय से विषय–विशेषज्ञ प्राप्त कर ले और शिक्षक चयन प्रक्रिया पूर्ण कराकर पत्रावली विश्वविद्यालय में नियमानुसार जमा कर अनुमोदन प्राप्त कर लें परन्तु महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय के पत्र के क्रम में अद्यतन कोई कार्यवाही नही की गयी है, जो कि लापरवाही का द्योतक है।

अतः समस्त स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षक अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त विषय–विशेषज्ञों से अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण कर पत्रावली अविलम्ब विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा दें एवं ऐसे महाविद्यालय जिनके द्वारा विश्वविद्यालय से विषय–विशेषज्ञ प्राप्त नही किये गये है वह दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लगातार तीन दिन **(प्रत्येक समाचार पत्र की तीन–तीन मूल प्रति)** विज्ञापन कर अन्य जरूरी कागजात संलग्न कर पत्रावली विश्वविद्यालय में जमा कर विषय–विशेषज्ञ प्राप्त कर माह 20 जून, 2022 तक शिक्षक अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण कर लें अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालयों को दोबारा विषय–विशेषज्ञ प्रदान किया जाना सम्भव नही होगा।

उक्त के साथ–साथ यह भी अवगत कराना है कि समस्त महाविद्यालय सम्बद्धता से सम्बन्धित सभी मानक एवं सम्बद्धता पत्र में इंगित कमियों को पूर्ण करते हुये पत्रावली 22 जून, 2022 तक जमा कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में सत्र 2022–23 में शिक्षक अनुमोदित न होने, प्रबन्ध समिति अनुमोदित न होने एवं पूर्व सम्बद्धता पत्र में इंगित कमियॉ पूर्ण न होने तथा पत्रावली समय से जमा न होने की स्थिति में अगले सत्र (2022–23) में ऐसे महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान किया जाना सम्भव नही होगा साथ ही स्थायी सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शिक्षक / प्रबन्ध समिति अनुमोदन प्राप्त न होने की दशा में छात्रों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लोगिन नही खोली जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मदारी महाविद्यालय प्रबन्धन की होगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. सहायक कुलसचिव–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी को सूचनार्थ प्रेषित।
2. ऐजेन्सी 2015–2022 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय बेवसाइट एवं समस्त महाविद्यालयों की लोगिन आई0डी0 पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

Affisvlett